



NRLM / स्व-सहायता समूह (SHG)-आधारित आजीविका समर्थन (आजीविका) (NRLM / Self-Help Group (SHG)-Based Livelihood Support (Aajeevika))

यह संस्थान क्या है

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) — जिसे आजीविका या DAY-NRLM (दीनदयाल अंत्योदय योजना — राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) भी कहा जाता है — समुदाय-आधारित संगठनों के माध्यम से ग्रामीण गरीबी कम करने के लिए केंद्र सरकार का मुख्य कार्यक्रम है। यह गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्व-सहायता समूहों (SHG) में संगठित करके, उनकी बचत और ऋण की आदतें विकसित करके, बैंकों से जोड़कर, और आजीविकाएँ शुरू करने या मज़बूत करने में सहायता देकर काम करता है। NRLM कोई एक इमारत नहीं है — यह सामुदायिक संस्थानों (SHG, ग्राम संगठन, क्लस्टर स्तरीय परिसंघ) की एक संरचना है जिसे खंड और जिला स्तर पर मिशन के स्टाफ़ का सहयोग प्राप्त है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो SHG आपके जिले में महिलाओं के लिए सबसे व्यापक संगठित मंच होने की संभावना है।

यह आपके लिए क्यों मायने रखता है

यदि आप या आपके परिवार की कोई महिला बचत करना चाहती हैं, सस्ता ऋण लेना चाहती हैं, छोटा उद्यम शुरू करना चाहती हैं, या किसी आजीविका कौशल में प्रशिक्षण लेना चाहती हैं, तो NRLM प्रणाली — SHG और उनके परिसंघों के माध्यम से — ग्रामीण भारत में सबसे सुलभ प्रवेश-बिंदु है।

शासन

कानून / नीति	दायरा
DAY-NRLM कार्यान्वयन ढाँचा	SHG गठन, बैंक जुड़ाव और आजीविकाओं के मूल संचालन दिशा-निर्देश
SHG बैंक जुड़ाव दिशा-निर्देश (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)/RBI)	औपचारिक बैंक ऋण से SHG को जोड़ने के नियम
SVEP दिशा-निर्देश	SHG के माध्यम से सूक्ष्म-उद्यमों के लिए स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम
DDU-GKY दिशा-निर्देश	15-35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट

- **केंद्र:** ग्रामीण विकास मंत्रालय → राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई
- **राज्य:** राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM), अपने स्वयं के CEO के साथ पंजीकृत सोसायटी
- **जिला:** जिला मिशन प्रबंधन इकाई (DMMU), जिला मिशन प्रबंधक के नेतृत्व में
- **खंड:** खंड मिशन प्रबंधन इकाई (BMMU), खंड परियोजना प्रबंधकों के साथ
- **समुदाय:** SHG (10-15 महिलाएँ) → ग्राम संगठन (VO) → क्लस्टर स्तरीय परिसंघ (CLF)
- **वित्त-पोषण:** 60:40 केंद्र:राज्य (NE और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90:10)



मुख्य पद

पद	जिम्मेदारी
जिला मिशन प्रबंधक	जिले में NRLM संचालन के प्रमुख
खंड परियोजना प्रबंधक / खंड समन्वयक	सामुदायिक केंद्र और SHG गठन की निगरानी
सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs)	परिपक्व SHG से तैनात महिलाएँ जो नए समूह बनाने में मदद करती हैं – साथी-शिक्षण मॉडल
बैंक सखी	प्रशिक्षित SHG सदस्य जो वित्तीय साक्षरता, पासबुक अद्यतन, और SHG-बैंक समन्वय प्रदान करती हैं
बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) सखी (Business Correspondent Sakhi)	IIBF-प्रमाणित SHG सदस्य जो ग्राम पंचायत स्तर पर माइक्रो-ATM संचालित करती हैं – कैश-इन/कैश-आउट, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और बुनियादी बैंकिंग सेवाओं के लिए
कृषि सखी / पशु सखी	प्रशिक्षित सामुदायिक केंद्र जो SHG को कृषि या पशुधन परामर्श देती हैं
VO और CLF पदाधिकारी	ग्राम और क्लस्टर परिसंघों के अध्यक्ष एवं सचिव; पूल-निधि का प्रबंधन और बैंकों से बातचीत

अनिवार्य सेवाएँ

- SHG गठित करना और उन्हें ग्राम संगठनों तथा क्लस्टर स्तरीय परिसंघों में विकसित करना
- SHG बैंक जुड़ाव सक्षम करना: आंतरिक उधार → रिवाँल्विंग फंड (प्रति SHG ₹20,000-30,000) → सामुदायिक निवेश निधि (प्रति SHG ₹2.5 लाख तक) → ब्याज सब्वेंशन के साथ 7% पर बैंक ऋण
- BC सखियों (SHG सदस्य जो प्रशिक्षित और IIBF-प्रमाणित बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं – "एक GP एक BC सखी" मिशन के तहत) के माध्यम से अंतिम-छोर वित्तीय समावेशन का निर्माण; ये माइक्रो-ATM से कैश-इन/कैश-आउट, DBT, और डिजिटल लेनदेन संचालित करती हैं, साथ-साथ बैंक सखियों द्वारा वित्तीय-साक्षरता का काम होता है
- कृषि सखियों के माध्यम से कृषि-आजीविकाओं और SVEP उद्यम विकास के माध्यम से गैर-कृषि आजीविकाओं को बढ़ावा देना
- अभिसरण सेवाएँ देना: SHG MGNREGA / VB-G RAM G, PDS निगरानी, पोषण और सामाजिक हकदारियों के लिए मंच के रूप में काम करते हैं
- SHG सदस्यों को बहीखाता-रखरखाव, वित्तीय साक्षरता और समूह प्रबंधन में प्रशिक्षित करना
- सामुदायिक केंद्र (CRPs, बैंक सखियाँ, कृषि सखियाँ) को एक उप-पेशेवर कार्यबल के रूप में प्रशिक्षित करना

संबद्ध योजनाएँ

- **SVEP** – SHG सदस्यों द्वारा संचालित सूक्ष्म-उद्यमों के लिए व्यवसाय योजना, ऋण और मेंटरिंग
- **DDU-GKY** – 15-35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट (महिलाओं और विशेष समूहों के लिए ऊपरी सीमा 45)
- **महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP)** – किसान महिला SHG सदस्यों के लिए सतत कृषि प्रशिक्षण
- **ब्याज सब्वेंशन योजना** – SHG बैंक ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर 4% या उससे कम तक घटाती है
- **लखपति दीदी** – NRLM आजीविका सहायता के माध्यम से प्रति वर्ष ₹1 लाख+ कमाने वाली महिलाओं को लक्षित करती है

कैसे ढूँढें

पोर्टल: nrlm.gov.in – SHG, VO, CLF, बैंक जुड़ाव और सामुदायिक केंद्रों पर जिला और खंड स्तर का डेटा

इसके अलावा: DRDA / जिला ग्रामीण विकास अधिकारी से संपर्क करें; DMMU आमतौर पर इसी कार्यालय में या उसके पास बैठती है

मुख्य सुविधाएँ

DMMU और BMMU कार्यालयों से संचालित होती हैं, जो प्रायः DRDA या खंड विकास कार्यालय के साथ साझा होते हैं। SHG सदस्यों के घरों, सामुदायिक हॉलों या आंगनवाड़ी केंद्रों में बैठक करते हैं। मुख्य "बुनियादी ढाँचा" संस्थागत है: बहीखाता, बैठक रजिस्टर, बैंक पासबुक, संकल्प पुस्तकें, और CIF उपयोग रिकॉर्ड।



एक क्रियाशील NRLM प्रणाली कैसी दिखती है

- DMMU/BMMU कार्यालय में थीमेटिक प्रबंधक तैनात हैं
- SHG बहीखाते के रखरखाव के साथ नियमित बैठक कर रहे हैं
- बैंक जुड़ाव डेटा प्रलेखित पुनर्भुगतान दरों के साथ SHG को ऋण मिलते हुए दिखाता है
- सामुदायिक कैंडर (कृषि सखियाँ, बैंक सखियाँ) सक्रिय हैं और उन्हें भुगतान मिल रहा है
- SVEP खंड संसाधन केंद्र चालू है, SHG सदस्य उद्यम शुरू कर रहे हैं
- सक्रिय SHG में युवा महिलाएँ (25 से कम) मौजूद हैं

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु BMMU में खंड परियोजना प्रबंधक / सामुदायिक संगठनकर्ता हैं। DMMU में जिला मिशन प्रबंधक अगला स्तर हैं। SHG-आंतरिक विवादों के लिए, VO और CLF पदाधिकारियों के पास प्राथमिक अधिकार है।

सेवा के बाद। मामला राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के CEO और MoRD में राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई तक बढ़ाया जाता है। बैंक-जुड़ाव विवाद अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) और SLBC (राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति) के पास जाते हैं।

बाहरी। MoRD (ग्रामीण विकास मंत्रालय) write2rdminister.dord.gov.in पर एक समर्पित शिकायत पोर्टल चलाता है, और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) (pgportal.gov.in) केंद्रीय-मंत्रालय शिकायतों के लिए है। बैंक-जुड़ाव और ब्याज-सर्वेक्षण के मुद्दों के लिए, बैंकिंग ओम्बड्समैन cms.rbi.org.in पर अधिकार-क्षेत्र रखता है। NABARD SHG बैंक जुड़ाव शिकायतों स्वीकार करता है। DDU-GKY और SVEP राष्ट्रीय-स्तरीय शिकायत चैनल nrlm.gov.in पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हैं।